

प्रशासन गांवों के  
संग अभियान 2023


राजस्थान सरकार  
सामाजिक उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, झुन्झुनू  
(पीठासीन अधिकारी, प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2023 कैम्प कोर्ट)  
कैम्प कोर्ट का स्थान प्रतापपुरा

आदेश :-

प्राथी के "खाता घुसुरती" पार्शना पत्र एवं पहचानी काशीरामपुरा व गूअ.नि. पगाड़ की रिपोर्ट तथा  
तहसीलदार झुन्झुनू की अनुशंसा के आधार पर य

अवस्थान गू-राजस्व अभियोग 1986 की धारा 136 के अनुसारण में ग्राम दरसरामपुरा तहसील झुन्झुनू जिला झुन्झुनू की  
जमाबन्दी सम्वत् 2074-2077 (वर्ष 2018 से स्थायी) में खाता संख्या 79 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित  
रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है :-

क्रमांक	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	<u>दरसरामपुरा</u>	<u>79</u>	<u>नवीन कुमार पुत्र रोहिताबा</u>	<u>नवीन लाम्बा पुत्र रोहिताबा</u>

  
(सुप्रिया)


पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी एवं अधिकारी  
पदेन सहा. कलक्टर, झुन्झुनू (रा.स.)

क्रमांक :- 2.

दिनांक :- 5.5.2023

प्रतिनिधि :-

1. तहसीलदार, झुन्झुनू को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया ज पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्राथी श्री ..... को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

  
(सुप्रिया)

पीठासीन अधिकारी अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी एवं अधिकारी  
पदेन सहा. कलक्टर, झुन्झुनू (रा.स.)